सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

# प्रगति प्रतिवेदन
# 2013-14

DoIT

Department of Information Technology & Communication

## सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
## राजस्थान

# अनुक्रमणिका


| अध्याय संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | प्रस्तावना | 1 |
| 2. | प्रशासनिक तंत्र | 5 |
| 3. | सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ | 9 |
| | (i) नीतिगत पहल | 9 |
| | (ii) सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर | 13 |
| | (iii) सेवा प्रदाता परियोजनाएं | 14 |
| | (iv) शिकायत निवारण परियोजनाएं | 17 |
| | (v) सरकारी कार्यों का कम्प्यूटरीकरण | 17 |
| | (vi) मानव संसाधन विकास | 19 |
| 4. | वर्ष 2013-14 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदत्त प्रमुख योजनाएं | 22 |
| 5. | भावी परियोजनाएं | 23 |
| 6. | वर्ष 2013-14 के वित्तीय लक्ष्य तथा माह दिसम्बर 2013 तक की प्रगति | 24 |
| 7. | बजट भाषण वर्ष 2013-14 की नवीन योजनाओं का विवरण | 30 |

# 1.

# प्रस्तावना

## परिचय

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं उचित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1987 में कम्प्यूटर निदेशालय के नाम से एक शीर्षस्थ संस्था स्थापित की। तत्पश्चात आदेश संख्या प027(2)मंमं/1997 दिनांक 30 सितम्बर, 1997 द्वारा विभाग का नाम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प027(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा इसके कार्य क्षेत्र के अनुरूप इस संस्था का नाम सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (Department of Information Technology & Communication- DoIT&C) कर दिया गया।

मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प027(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के कार्यविधि नियमों में संशोधन किया गया। संशोधित कार्यविधि नियम निम्न प्रकार से है :—

1 राजस्थान में कम्प्यूटरीकरण के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना। सरकारी विभागों और संगठनों में कम्प्यूटर, दूरसंचार और आधुनिक कार्यालय उपकरणों के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन्हें प्रोत्साहित करना एवं उनका प्रचार करना।

2 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के विकास और प्रयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर नीतियों का निरूपण करना:

(क) समग्र निर्देश और मार्गदर्शन करना।

(ख) विभागों के कम्प्यूटरीकरण के लिये नीति और उनके क्रियान्वयन को मॉनिटर करना।

(ग) सरकार में प्रयुक्त होने वाली समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना।

(घ) बैंण्ड विड्थ की उपलब्धता और उत्तम गुणवत्तायुक्त ध्वनि तथा आँकडा प्रेषण सुविधाओं का निर्धारण करना।

(ड़) दूरसंचार के प्रसार के लिये विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट सुविधाओं के लिये नीति बनाना।

(च) राज्य के लिये अपेक्षित दूरसंचार प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के लिये नीति बनाना

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में विनिमय के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिये युक्ति तैयार करना।

(ज) स्थानीय भाषाओं को प्रेरित करना।

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इन्टरनेट सुरक्षा नीति।

(ण) नीति निरूपण एवं क्रियान्वयन के लिए उपर्युक्त संगठनात्मक संरचना सृजित करना, और

(ट) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार परियोजनाओं की वित्त घोषणा के लिए नीति बनाना।

3 सरकार की सभी एजेन्सियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और सुदृढ़िकरण के मामले में समन्वय करना।

4 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए इलेक्ट्रानिक गवर्नेन्स का सूत्रपात करना :

(क) राजस्थान राज्य में ई–गवर्नेन्स का समन्वय और समग्र डिज़ाइन।

(ख) सभी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार परियोजनाओं में सिटिज़न इन्टरफेस को प्रोत्साहित करना।

(ग) राज्य में ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन का परिवेक्षण करना।

(घ) आँकड़ा संकलन, समेकन और प्रसार के लिए मानक सांकेतिक शब्दों के विकास का समन्वय करना।

(ड़) सम्पूर्ण राज्य में इन्टरनेट और ई–कामर्स को प्रोत्साहन देना।

(च) उपध्यता रिपोर्ट की तैयारी के लिए राज्य की एजेन्सीयों को तकनीकी सलाह प्रदान करना।

(छ) व्यवहार अनुकूल और मानक कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुप्रयोज्य साफ्टवेयर संचार डिवाइस/प्रोटोकॉल के चयन, उपार्जन, स्थापन और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सलाह देना।

(ज) विभिन्न विभागों में ऑफिस

ओटोमेशन का क्रियान्वयन।

(झ) सरकारी विभागों/निधिप्रदत्त एजेन्सियों/बी.ओ.ओ.टी या बी.ओ.ओ. परियोजनाओं द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रगति का पुनरावलोकन, और

(ण) सरकारी विभागों के दैनिक प्रशासनिक कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के प्रयोग को मॉनीटर करना।

5 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए विनिधान को प्रोत्साहन देना

(क) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्षेत्र मे विनिधान के लिए प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिए युक्ति तैयार करना।

(ख) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार उद्योग को प्रोत्साहन देना।

(ग) कम्प्यूटरीकरण के लिए नए क्षेत्रों का विकास करना।

(घ) ऐसी नई प्रौद्योगिकी को प्रौत्साहित करना जो जीवन स्तर को उन्नत करें, और

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी सामर्थ्ययुक्त सेवाओं को प्रोत्साहन देना।

6 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार अवसंरचना का स्थापन

(क) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का संस्थापन।

(ख) ग्रामस्तर तक ब्रोडबैंण्ड डिजिटल संबन्धता के स्थापन को सुकर बनाना।

(ग) राज्य में दूरसंचार अवसंरचना के सुधार के लिए डी.ओ.टी./वी.एस.एन.एल./बी.एस.एन.एल. या अन्य सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की एजेन्सीयों के साथ समन्वय करना, और

(घ) समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकीं की पहचान करना और सरकार/उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्रों विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त करना।

7 उच्च गुणवत्ता की कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

8 कम्प्यूटर और इन्टरनेट के प्रति जागरूकता और उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए पुनावर्या पाठ्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों की व्यवस्था और समन्वय करना। महत्वपूर्ण साहित्यों और नियमावलियों को प्रकाशित करना और उन्हें वितरित करना।

9 सभी सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार संगठनों का समन्वय यथा एन. आई. सी., इलेक्ट्रानिक साफ्टवेयर प्रयोजन काऊन्सिल, नास्कॉम का

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से सम्बन्धित भारत सरकार के विभागों के साथ समन्वय।

10 विभाग के नियन्त्रण के अधीन कम्प्यूटर एवं संचार वृतियों की भर्ती और संवर्ग प्रबन्धन।

11 कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को आवंटित मामलों से भिन्न सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन के अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्बन्धित स्थापन के समस्त मामले ।

12 प्रशासनिक विभाग की भूमिका में कम्प्यूटर विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं संवर्ग व्यवस्था नियंत्रित करना।

13 इस विभाग के अन्तर्गत दो एजेन्सियां कार्यरत हैः–

- राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड :– वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कम्प्यूटर सर्विसेज़ – राजकॉम्प (Rajasthan State Computer Services- RajComp) नामक उपक्रम की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं राजकॉम्प स्वतन्त्र रूप से या आपसी समन्वय से राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। विभागीय आदेश संख्या प5(119) /सू.प्रौ./विभाग/ 10/2429 दिनांक 19.10.2010 द्वारा राजकॉम्प को कम्पनी में परिवर्तित करते हुए इसका नाम राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड कर दिया गया।
- राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड :– शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रोद्यौगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजीटल डिवाईड़ को मिटाने हेतु राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन की स्थापना कर दी गई है। आर.के.सी.एल. का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण किया जाता है।

# 2.

## प्रशासनिक तंत्र

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत समस्त संवर्गों का पुनर्गठन किए जाने के पश्चात राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के विभिन्न संवर्गों में विभागीय स्तर पर पदों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है: –

| क्र.सं. | पद का नाम | स्वीकृत पद | भरे हुए पद (कार्यरत) | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | तकनीकी निदेशक | 2 | 2 | 0 |
| 2. | अतिरिक्त निदेशक | 6 | 0 | 6 |
| 3. | ओ.एस.डी.( टेलीकॉम) | 1 | 1 | 0 |
| 4. | सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) | 24 | 15 | 9 |
| 5. | एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) | 156 | 101 | 55 |
| 6. | प्रोग्रामर | 509 | 126 | 383 |
| 7. | सहायक प्रोग्रामर | 252 | 149 | 103 |
| 8. | सूचना सहायक | 6014 | 4887 | 1127 |
| | कुल | 6964 | 5281 | 1683 |

# सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग स्वीकृत पद/ कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची
## 31 December 2013

| क्र. सं. | पद का नाम | स्वीकृत पद | भरे हुए पद (कार्यरत) | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आयुक्त, आई.ए.एस | 1 | 0 | 1 |
| 2. | तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव | 1 | 1 | 0 |
| 3. | अतिरिक्त निदेशक | 4 | 1 | 3 |
| 4. | विशेषाधिकारी (टेलीकॉम) | 1 | 1 | 0 |
| 5. | वित्तीय सलाहकार | 1 | 1 | 0 |
| 6. | सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) | 7 | 7 | 0 |
| 7. | एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) | 22 | 22 | 0 |
| 8. | लेखाधिकारी | 1 | 1 | 0 |
| 9. | प्रोग्रामर | 30 | 30 | 0 |
| 10. | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I | 1 | 1 | 0 |
| 11. | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी | 1 | – | 1 |
| 12. | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | 1 | – | 1 |
| 13. | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II | 2 | 1 | 1 |
| 14. | प्रशासनिक अधिकारी | 2 | 1 | 1 |
| 15. | कनिष्ठ लेखाकार | 3 | 1 | 2 |
| 16. | निजी सचिव | 1 | 1 | 0 |
| 17. | वरिष्ठ निजी सहायक | 1 | 1 | 0 |
| 18. | निजी सहायक | 1 | 1 | 0 |
| 19. | सहायक प्रोग्रामर | 22 | 22 | 0 |
| 20. | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | 2 | 2 | 0 |
| 21. | कनिष्ठ विधि अधिकारी | 1 | 1 | 0 |
| 22. | सूचना सहायक | 19 | 19 | 0 |
| 23. | क्लर्क ग्रेड–I | 3 | 3 | 0 |
| 24. | क्लर्क ग्रेड–II | 10 | 7 | 3 |
| 25. | वाहन चालक | 2 | 1 | 1 |
| 26. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 13 | 10 | 3 |
| | कुल | 153 | 136 | 17 |

## जिला कलक्टर कार्यालय
(माहः दिसम्बर, 2013)

| क्र.सं. | पद का नाम | स्वीकृत पद | भरे हुए पद (कार्यरत) |
|---|---|---|---|
| 1. | एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) | 33 | 27 |
| 2. | प्रोग्रामर | 33 | 21 |
| 3. | सहायक प्रोग्रामर | 33 | 32 |
| 4. | लेखाकार | 33 | 15 |

## ब्लॉक / तहसील मुख्यालय
(माहः दिसम्बर, 2013)

| क्र.सं. | पद का नाम | स्वीकृत पद | भरे हुए पद (कार्यरत) |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रोग्रामर (ब्लॉक मुख्यालय हेतु) | 248 | 1 |
| 2. | सूचना सहायक (तहसील मुख्यालय हेतु) | 287 | 256$ |

$ विभागीय आदेश क्रमांक 11346 दिनांक 14.09.2013 के द्वारा तहसील मुख्यालय पर 287 सूचना सहायकों का नियुक्ति/पदस्थापन किया गया है। नवपदस्थापित सूचना सहायकों के कार्यग्रहण की कार्यवाही जारी है तथा इसे अद्यतन किया जा रहा है।

### 1. यू.आई.डी. प्रोजेक्ट के तहत स्वीकृत पद(समयावधि तक)

| क्र. सं. | पद का नाम | स्वीकृत पद | भरे हुए पद (कार्यरत) | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ओ.एस.डी. | 1 | 0 | 1 |
| 2. | सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) | 1 | 1 | 0 |
| 3. | अतिरिक्त निदेशक | 1 | 1 | 0 |
| 4. | अतिरिक्त निदेशक–कम–वित्तीय सलाहकार | 1 | 1 | 0 |
| 5. | एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) | 1 | 1 | 0 |
| 6. | प्रोजेक्ट आफिसर | 2 | 2 | 0 |
| 7. | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–1 | 1 | 1 | 0 |
| 8. | सूचना सहायक | 2 | 2 | 0 |
| 9. | कनिष्ठ लिपिक | 1 | 0 | 1 |
| 10. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 3 | 0 | 3 |
| | कुल | 14 | 9 | 5 |

## 2. भारत सरकार द्वारा केपिसीटी बिल्डिंग योजना के तहत स्वीकृत कन्सलटेन्ट (समयावधि तक)

| क्र. सं. | पद का नाम | स्वीकृत पद | भरे हुए पद (कार्यरत) | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रिन्सीपल कन्सलटेन्ट | 1 | 1 | 0 |
| 2 | सीनीयर कन्सलटेन्ट | 4 | 4 | 0 |
| 3 | कन्सलटेन्ट | 8 | 7 | 1 |
| | कुल | 13 | 12 | 1 |

# 3.

# सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

<u>नीतिगत पहल</u>

भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स परियोजना (NEGP) के दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में ई–गवर्नेन्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को गति प्रदान करने के उददेश्य से चार समितियों मुख्यतः :– ई–प्रशासन परिषद (State e-Governance Council), राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति (State Level Apex Committee) परियोजना ई–प्रशासन लक्ष्य दल (Project e-Governance Mission Team) तथा राज्य ई–प्रशासन लक्ष्य दल (State e-Governance Mission Team) का गठन किया गया है।

- समस्त सरकारी विभागों के आयोजना बजट का 3 प्रतिशत भाग नागरिक केन्द्रित ई–प्रशासन हेतु सुनिश्चित किया गया है। यह सम्पूर्ण देश में इस तरह का प्रथम प्रयास है। इस वित्तीय प्रावधान के प्रभावी उपयोग हेतु दिनांक 19.11.09 को दिशानिर्देश का लोकार्पण किया गया। तत्पश्चात इसकी निरन्तरता में समस्त राजकीय विभागों द्वारा कम से कम दो नागरिकोन्मुखी सेवाऐं चयनित कर सी.एस.सी. कियोस्क के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु परिपत्र जारी कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष राज्य बजट का लगभग 3% भाग ई–गवर्नेन्स के लिये चिन्हित् किया जाता है।

- **UID** (आधार) – भारत सरकार की 'आधार' परियोजना के अतंर्गत समस्त नागरिकों को एक बारह अंक का नम्बर दिया जायेगा जो कि उनकी पहचान संख्या कहलायेगा। इसका उपयोग कर देश के नागरिकों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे समस्त लाभ एवं परिलाभ तथा सेवायें बेहतर उपलब्ध करायी जा सकेगी। आधार परियोजना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राज्य पंजीयक है।

इस परियोजना हेतु राज्य सरकार

एवं यूनिक आइडेंटिफिकेशन आथोरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के माध्यम से 28 मई, 2010 को एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था। राज्य में इस परियोजना पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है जिसके अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से समस्त राज्य के निवासियों का पंजीयन किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :

प्रथम चरण : मई 2011 से मार्च 2012 – 81.77 लाख नागरिकों को आधार के लिए नामांकित किया गया

द्वितीय चरण : जून 2012 से जारी है एवं इसमें 4.27 करोड़ नागरिकों को अभी तक नामांकित किया जा चुका है।

| क्र.सं. | स्थान | जनसंख्या | कुल नामांकन | नामांकन प्रतिशत (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर | 2584913 | 2430506 | 94 |
| 2 | अलवर | 3671999 | 2638966 | 71 |
| 3 | बांसवाड़ा | 1798194 | 942289 | 52 |
| 4 | बाराँ | 1223921 | 915242 | 74 |
| 5 | बाड़मेर | 2604453 | 2129652 | 81 |
| 6 | भरतपुर | 2549121 | 1160012 | 45 |
| 7 | भीलवाड़ा | 2410459 | 1166539 | 48 |
| 8 | बीकानेर | 2367745 | 1468448 | 62 |
| 9 | बूंदी | 1113725 | 529899 | 47 |
| 10 | चित्तौड़गढ़ | 1544392 | 810309 | 52 |
| 11 | चुरू | 2041172 | 1476940 | 72 |
| 12 | दौसा | 1637226 | 1222344 | 74 |
| 13 | धौलपुर | 1207293 | 322138 | 26 |
| 14 | डूंगरपुर | 1388906 | 614373 | 44 |
| 15 | गंगानगर | 1969520 | 1254093 | 63 |

शेष अगले पृष्ठ पर..

| क्र.सं. | स्थान | जनसंख्या | कुल नामांकन | नामांकन प्रतिशत (%) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | हनुमानगढ़ | 1779650 | 1111183 | 62 |
| 17 | जयपुर | 6663971 | 3989668 | 59 |
| 18 | जैसलमेर | 672008 | 205383 | 30 |
| 19 | जालौर | 1830151 | 1380439 | 75 |
| 20 | झालावाड़ | 1411327 | 777236 | 55 |
| 21 | झुंझुनूं | 2139658 | 1620088 | 75 |
| 22 | जोधपुर | 3685681 | 1864350 | 50 |
| 23 | करौली | 1458459 | 590638 | 40 |
| 24 | कोटा | 1950491 | 1556187 | 79 |
| 25 | नागौर | 3309234 | 1686072 | 50 |
| 26 | पाली | 2038533 | 1398054 | 68 |
| 27 | प्रतापगढ़ | 868231 | 394988 | 45 |
| 28 | राजसमंद | 1158283 | 946238 | 81 |
| 29 | सवाई माधोपुर | 1338114 | 589074 | 44 |
| 30 | सीकर | 2677737 | 1333195 | 49 |
| 31 | सिरोही | 1037185 | 778068 | 75 |
| 32 | टोंक | 1421711 | 747473 | 52 |
| 33 | उदयपुर | 3067549 | 2661832 | 86 |
| | कुल योग | 68621012 | 42714319 | 62 |

**आधार समर्थित सेवाओं का आरम्भ :**

आधार समर्थित सेवाओं का राष्ट्रव्यापी लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 20.10.2012 को आधार प्रोजेक्ट की द्वितीय वर्षगांठ पर दूदू तहसील में किया गया। आधार संख्या द्वारा नागरिकों की प्रमाणिकता ऑनलाईन जाँचना, विभिन्न योजनाओं के पायलेट प्रोजेक्ट के तहत माइक्रो ए.टी.एम द्वारा अपने बायोमेट्रिक के माध्यम से आधार समर्थित खाते से लेन देन का प्रदर्शन भी किया गया।

राज्य द्वारा आधार समर्थित सेवाओं के लिए पहल :

- आधार की द्वितीय वर्षगांठ पर दूदू में माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की उपस्थिति में जनहित से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं को आधार नामांकन से जोड़ने का निर्णय लिया गया।

- ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना आदि राज्य सरकार की योजनाओं को आधार से जोड़ा जा रहा है।

- बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य में 277 स्थायी आधार नामांकन केन्द्र स्थापित किये गये थे। ये स्थाई आधार केन्द्र 2 वर्ष तक कार्यरत रहेंगे एवं निवासियों को नामांकन के अलावा ई–आधार का प्रिंट, नामांकन की स्थिति (स्टेटस) जानने, आधार डेटा में अद्यतन (अपडेट) संबंधित सेवाएं राज्य पंजीयक द्वारा निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकेगें।

- CSC पर आधार संबंधित सेवाएं यथा ई–आधार प्रिंट कर, आधार का स्टेटस जानना तथा त्रुटियों में सुधार की सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। निवासी इन सुविधाओं को सरकार द्वारा तय दरों पर प्राप्त कर सकते हैं।

- अराई पंचायत समिति जिला अजमेर में आधार Seeding का पायलट प्रारंभ किया गया। जिसके तहत CSC को PDS, नरेगा एवं जननी सुरक्षा योजना के डेटाबेस में आधार संख्या सीड करवाने के लिए अधिकृत किया गया है। उपरोक्त आधार सीडिंग की सफलता के उपरान्त यह कार्य अन्य जिलों में भी शुरू किया जा सकेगा। इन डेटाबेसों के आधार समर्थ हो जाने पर बायोमैट्रिक्स प्रमाणिकरण द्वारा सेवाएं प्रदान करने की दिशा में पहल की जा सकेगी।

- **आधार बायोमैट्रिक्स ऑथेन्टिकेशन :–** राज्य पंजीयक द्वारा यूआई.डी.आई.ए द्वारा ऑथोराइजड सर्विस एजेंसी एवं ऑथोराइजड यूजर एजेंसी (ASA & AUA) के लिए करार कर लिया गया है।

- यू.आई.डी.आई.ए द्वारा प्रदत बायोमैट्रिक्स एवं आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का सफल परीक्षण किया जा चुका है जिसका राज्य सरकार द्वारा उपयोग करने का कार्य जारी है।

- निवासियों को प्रमाणित करने के लिए ई–केवाईसी सेवा राज्य में उपलब्ध करवाने के लिए कार्य जारी है।

## <u>सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर</u>

- **स्टेट डाटा सेंटर** – भारत सरकार से एनईजीपी के अंतर्गत स्वीकृत राशि रूपये 30.00 करोड़ से नये आईटी भवन में नये स्टेट डाटा सेंटर का दिनांक 15.12.2010 को उदघाटन किया गया। 43 रैक की क्षमता वाले इस डेटा सेन्टर की सैन (SAN) क्षमता 125 टी.बी. (टैराबाईट) है। स्टेट डेटा सेन्टर के उपयोग हेतु विभाग द्वारा दिशा–निर्देश तैयार कर समस्त विभागों को प्रेषित कर दिये गये हैं।

सेंटर पर नेशनल नॉलेज नेटवर्क की 1 जी.बी. लिंक कनेक्टिविटी 01.05. 2012 से उपलब्ध करवा दी गई है।

- **राजस्थान स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क** – राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ जनता तक पहुंचाने के लिये एवं सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु जयपुर में 11–12 फरवरी 2013 को आयोजित 16वीं राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स कान्फ्रेन्स के दौरान देश के सबसे बड़े राज्य व्यापी तंत्र (Rajasthan State Wide Area Network) के वर्टिकल अंश का उदघाटन किया गया। इसके माध्यम से राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर 4500 से अधिक सरकारी कार्यालय आपस मे जुड़ जायेंगे तथा इससे ई–प्रशासन का विस्तार सुगम होगा।

- **सैकलैन** – राज्य में 5000+ नोड्स का सचिवालय लोकल एरिया नेटवर्क (SecLAN) क्रियाशील है, जिसके लिये कम्प्यूटर उपकरण, प्रिन्टर्स, आई.पी. फोन तथा I-Pads मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को वितरित कर दिये गये हैं।

- **सैकलैन का विस्तार**– राज्य सचिवालय में स्थापित सैकलैन का विस्तार करते हुए विगत दो वर्षो में पशु धन भवन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता भवन, स्वायत्त शासन भवन, निधी भवन, एस.एम.एस. अस्पताल, श्रम भवन, राज्य भण्डारण निगम भवन, स्टेट मोटर गैराज, राजस्थान पुलिस अकादमी को जोडा गया जिससे जयपुर मेट्रोपोलिटन एरिया नैटवर्क से जुडे भवनों की संख्या 44 हो गई है। इस नेटवर्क का विस्तार करके एन.आई. सी. के तकनीकी सहयोग से समस्त जिला कलेक्टर को वॉयस ओवर

इन्टरनेट प्रोटोकॉल सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है।

## सेवा प्रदाता परियोजनाएं

- **नागरिक सेवा केन्द्र (सीएससी)** (http://cscmis.emitra.gov.in)– ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागो एवं निजी क्षेत्र की सूचनाऐं तथा सेवायें सुलभता से उपलब्ध कराने के उद्देशय से केन्द्र सरकार की एनइजीपी के तहत सीएससी परियोजना लागू की गई। परियोजना के तहत राज्य में 6626 सीएससी केन्द्र स्थापित किये जाने हैं जिसमें से आदिनांक तक 6476 केन्द्र क्रियाशील कर दिये गये है।

  यह कार्य मै. सी.एम.एस. एवं वक्रांगी साफ्टवेयर लिमिटेड द्वारा सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। सी.एस.सी परियोजना के वी.एल.ई. स्तर पर क्रियान्वयन के प्रबोधन हेतु एक विस्तृत वेब आधारित एप्लीकेशन www.cscmis.emitra.gov.in विकसित की गई है। सी.एस.सी. /ई–मित्र पोर्टल केन्द्रों पर लगभग 20 लाख ट्रांज़ेक्शन प्रति माह होते हैं तथा लगभग रू. 250 करोड़ राजस्व एकत्रित होता है।

- **ई–डिस्ट्रिक्ट** – राष्ट्रीय प्रशासन योजना के अन्तर्गत ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा दी जाने वाले नागरिक सेवाओं का पूर्णतया कम्प्यूटरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता के तहत प्रथम चरण में अजमेर एवं जोधपुर जिले में इसका क्रियान्वयन दिनांक 01.10.2013 को प्रारंभ कर दिया गया है।

- **स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे** – राष्ट्रीय ई–प्रशासन परियोजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम विकसित किया जा रहा है। परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के केन्द्रिय पोर्टल के अनुरूप राज्य पोर्टल की स्थापना का भी प्रावधान है। परियोजना के प्रथम चरण में कृषि विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (अनुसूचित जाति/ जन जाति/पिछडा वर्ग), उद्यानिकी

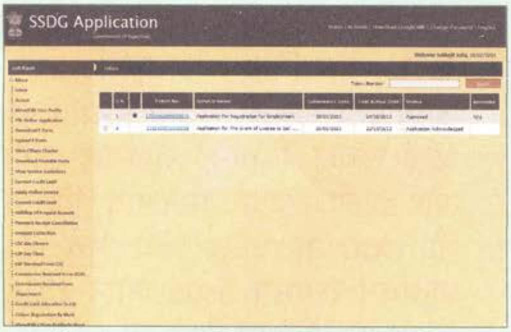


विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, रोजगार विभाग एवं जयपुर कलेक्ट्रेट का चयन किया गया है।

इस परियोजना के लिये भारत सरकार ने 1151.00 लाख स्वीकृत किये हैं। इस कार्य के तहत नागरिको को उपरोक्त विभागों की 42 सेवायें सीएससी एवं ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से उपलब्ध होंगी। इस योजना में "Rajasthan Public Service Delivery Gurantee Act 2011" के अंतर्गत ली गयी सेवायें भी शामिल की गई है। 1 अक्टूबर 2013 से पोर्टल को पूर्णरूप से क्रियाशील कर 26 सेवायें प्रारंभ कर दी गयी है।

- **ई–संचार–** परियोजना के अर्न्तगत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में वॉयस कॉल/एस.एम.एस के माध्यम से नागरिक केन्द्रित सूचनाओं की सुविधा प्रदान की जा रही है। इससे विभिन्न सरकारी योजनाओ, विशेष रूप से पेंशनर्स को सूचना का प्रसार किये जाने में मदद मिलेगी। पेंशन संवितरण से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए ई–संचार परियोजना को समस्त 13 उप कोषालयो में लागू किया जा चुका है।

☛ इस परियोजना को Maximum Social Impact by PC Quest के अन्तर्गत Best IT Implementation Award 2009 से पुरस्कृत किया गया।

- **डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र –**

सम्पूर्ण राज्य में घर बैठे ही इन्टरनेट के माध्यम से/एकल खिड़की/कियोस्क के माध्यम से वैधिक मान्यता प्राप्त डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र उपलब्ध करवाने कि प्रणाली की भी शुरूआत की गई। इसके अन्तर्गत जयपुर से किये गये प्रथम आवेदन के आधार पर जोधपुर से डिजिटली

हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस प्रणाली के अन्तर्गत मुख्यतः मूल निवास, जाति, आय तथा हैसियत प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे हैं। प्रतिमाह लगभग 1.5 लाख डिजिटल प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे हैं।

अन्य सभी प्रकार के प्रमाण–पत्र, अनुज्ञप्ति इत्यादि भी डिजिटली हस्ताक्षरित रूप से उपलब्ध करवाये जायेगें। इस प्रकार के प्रमाण–पत्र लेने हेतु नागरिकों को ऑन लाईन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

- **एकीकृत कॉल सेंटर (Citizen Contact Centre)** – दिनांक 03.08. 2013 को एकीकृत कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया। इस सेवा के माध्यम से टोल फ्री नंबर 1800–180–6127 पर कॉल कर जनता 20 विभागों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकती है। यह सेंटर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्य करता है। महिला एवं बाल विकास, परिवहन, श्रम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उद्योग, पंजीयन एवं मुद्रांक,

राजस्थान लोक सेवा आयोग, खाद्य–नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, रोजगार सेवा और अल्पसंख्यक मामलात विभाग भी CCC से जोड़ दिये गये हैं। प्रतिदिन लगभग 3500 कॉल, CCC के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे हैं।

- **नकद हस्तांतरण योजना** – आम लोगों का पैसा सीधे आम जन तक पहुंचे इसके मद्देनज़र भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी अथवा अन्य सहायता को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। जिसके तहत 1 जनवरी 2013 से 43 ज़िलों में चयनित योजनाओं के लाभार्थियों को सीधा नकद हस्तांतरण किया गया। राज्य के 3 ज़िलों अजमेर, अलवर व उदयपुर को भी इसमें शामिल किया गया है तथा 1 जुलाई 2013 से राज्य के तीन ज़िलों (कोटा, पाली व झुनझुनू) को नकद हस्तांतरण योजना के द्वितीय चरण हेतु चयनित किया गया है।

अलवर ज़िले में 14 एवं अजमेर व उदयपुर में 8 चयनित योजनाओं के लाभार्थियों के लिए नकद हस्तांतरण 1 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। पहले ही दिन 21004 लाभार्थियों को 5.09 करोड़ रुपये नकद हस्तांतरित किये गए हैं।

6 जिलों में आधार समर्थित राशि हस्तान्तरण की प्रगति निम्न प्रकार है :

प्रथम चरण :

| Name of the District | Total Beneficiary Count | Numbers Enrolled | Aadhaars Generated | Aadhaar Based Payments upto Dec 13 (No of beneficiaries) |
|---|---|---|---|---|
| Ajmer | 75,875 | 39,998 | 25,788 | 8,155 |
| Alwar | 1,10,715 | 63,041 | 52,405 | 12,294 |
| Udaipur | 1,39,310 | 41,001 | 23,084 | 7,724 |

द्वितीय चरण :

| Name of the District | Total Beneficiary Count | Numbers Enrolled | Aadhaars Generated | Aadhaar Based Payments upto Dec 13 (No of beneficiaries) |
|---|---|---|---|---|
| Pali | 77,402 | 24,613 | 11,076 | 142 |
| Jhunjhunu | 43,802 | 16,610 | 13,076 | 41 |
| Kota | 51,435 | 9,368 | 7,100 | 426 |

## शिकायत निवारण परियोजनाएं

- **सुगम (पी.जी.पोर्टल)–** एन.आई.सी. के सहयोग से सुगम जन सेवा प्रदाता परियोजना क्रियान्वित की गई है। इसके अंतर्गत जन–अभियोग प्रबोधन एवं निराकरण के लिए वेब आधारित सोफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही सरकारी सेवाएं प्रदान करने हेतु एवं सूचना के अधिकार संबंधित जानकारी और जन–अभियोग हेतु सहायता पटल के लिए राज्य स्तरीय कॉल सैन्टर तैयार किया गया है जहाँ दूरभाष पर नागरिक सेवा प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा **http://sugamrpg.raj.nic.in** तथा दूरभाष नं. 0141–2227549 पर उपलब्ध है। दिनांक 06.01.2014 तक प्राप्त 252713 शिकायतों में से 193349 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है।

## सरकारी कार्यो का कम्प्यूटरीकरण

- **e-Procurement** – राजकीय विभागों/स्वायत्तशासी निकायों/राज्याधीन निकायों से विभिन्न सामग्रियों के क्रय में पारदर्शिता स्थापित करने एवं समयबद्धता से काम करने के उद्देश्य से, रूपये 50 लाख से अधिक की निविदाओं के लिए इस परियोजना को क्रियान्वित किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये इस सीमा को कम कर रूपये 25.00 लाख कर दिया गया है। ई–प्रोक्योरमैंट एप्लीकेशन (eproc.rajasthan.gov.in) को

राजस्थान के 99 विभागों में क्रियान्वित कर दिया गया है। अब तक लगभग 106223.00 करोड़ लागत की 21174+ निविदायें इस तंत्र के माध्यम से आमंत्रित की गई है। इस पोर्टल के लिये 2852 सरकारी कर्मचारियों एवं 1860 फर्मों के निविदा दाताओं को प्रशिक्षण दे दिया गया है। माह अप्रैल 2013 तक के आंकड़ों के आधार पर सम्पूर्ण देश में राजस्थान ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा मूल्य के आधार पर निविदा प्रकाशित करने वाला अग्रणी राज्य है।

- **आरोग्य ऑन लाइन–** सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर को पूर्ण कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। इसके अंतर्गत इमरजेंसी, आउट पेशेंट पंजीयन, बिलिंग, जांच (सेंट्रल लैब), इंडोर पेशेंट मैनेजमेंट, पूछताछ तथा फार्मेसी एवं दवा विभाग को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत भी पूर्ण कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। इस परियोजना को

सभी 15 जिला अस्पतालों में चालू कर दिया गया है तथा शीघ्र ही 6 चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों में लागू किया जावेगा। वर्तमान में 15 जिला अस्पताल मुख्यतः गंगानगर, जयपुर, अलवर,

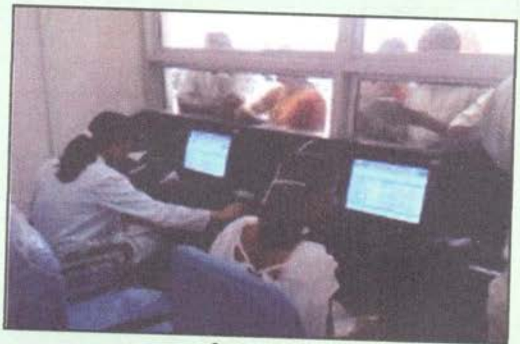

ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा, सीकर, बांसवाड़ा, भरतपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांरा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ एवं धौलपुर जिले में कार्य आरंभ कर दिया गया है। इन सभी 15 चिकित्सालयों में आदिनांक तक 66 लाख मरीजों का पंजीकरण हो चुका है। इन जिला अस्पतालों में एम.एन. जी.वाई (मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना) को ऑनलाइन कर दिया गया है। साथ ही जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अज़मेर एवं बीकानेर

चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पतालों हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कांवटिया अस्पताल में निःशुल्क जांच योजना को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है एवं चरणबद्ध रूप से शेष अस्पतालों में भी जांच योजना को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

- **RPSC (राजस्थान लोक सेवा आयोग)** – RPSC (राजस्थान लोक सेवा आयोग) द्वारा सरकारी विभागों में कनिष्ठ लिपिक से लेकर राज्य सेवा एवं अधिनस्थ राज्य सेवा संबंधी भरती की प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है। इसके अन्तर्गत विभिन्न पदों हेतु आवेदन प्रपत्र जारी करने से लेकर पूर्ण किये गये आवेदन प्राप्त करना, आवश्यक योग्यतानुसार आवेदन पत्रों की छटनी करना, योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिये परीक्षा करवाने से लेकर परिणाम घोषित करने तक सभी कार्य सम्पादित किये जाते हैं। विभिन्न सरकारी पदों के लिये आवेदकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है जिसके कारण इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को (परीक्षा अयोजित करने के अतिरिक्त) कम्प्यूट्रीकृत करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के समस्त आवेदन पत्र सी.एस.सी. एवं ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन जमा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। दिनांक 11–12 फरवरी 2013 को राज्य सरकार द्वारा जयपुर में 16वें राष्ट्रीय ई–शासन सम्मेलन में RPSC पोर्टल को सर्वश्रेष्ठ पोर्टल के लिये राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स अवार्ड 2012–13 से पुरस्कृत किया गया। आदिनांक तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्तियों के 50 लाख आवेदन पत्र तथा अन्य विभागों की भर्तियों के 96 लाख आवेदन इस पोद्वल द्वारा प्राप्त हो चुके है।

- **e-Secretariat** - ई–ऑफिस सिस्टम को सचिवालय स्थित 15 विभागो में क्रियान्वित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सचिवालय तथा सभी

जिला कलैक्ट्रेट पर अधिकारियों के लिये बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य कर दी गयी है।

## मानव संसाधन विकास

- **सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण**– ई–गवर्नेन्स को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिये कम्प्यूटर प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता है। वर्ष 2010 अक्टूबर में राज्य सेवा के सात अधिकारियों

को **TAPMI,** मनिपाल में तथा वर्ष 2011–12 में राज्य सेवा के 10 अधिकारियों को **IIM, Indore** में एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजा गया। इस वर्ष राज्य सेवा के 4 अधिकारियों को एक वर्षीय ई–गवर्नेन्स प्रशिक्षण के लिये **IIM-Indore** भेजा गया है। इसके अतिरिक्त निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये :–

| Sr. | Name of Training Program | Duration | Participants |
|---|---|---|---|
| 1. | Training on Dot Net | 25th April to 26th July, 2011 (90 hours) | 15 |
| 2. | Training on Dot Net | 16th August to 23rd September 2011 (90 hours) | 15 |
| 3. | Project Management | 23rd - 27th January, 2012 | 25 |
| 4. | e-Governance Project Lifecycle | 06th – 10th February 2012 | 25 |
| 5. | **Orientation training program for SeMT consutants** | | |
| | Banglore | 23-27 May,2011 | 3 |
| | Ahemdabad | 26-30 Sept 2011 | 2 |
| | Hyderabad | 21- 25 Feb 2012 | 2 |
| 6. | e-Governance Training at Bangalore | 3rd – 5th December 2011 | 40 |
| 7. | Information Security Management & Enterprise Application | 16-18 April 2011 | 23 |

| Sr. | Name of Training Program | Duration | Participants |
|---|---|---|---|
| 1 | Website Development | 6th – 21st April 2011 | 25 |
| 2 | National Convention on Good Governance and National Development at Managment Development Academy | 9th-10th September 2011 | 10 |
| 3 | Induction trainings at HCM RIPA | | 65 |
| 4 | Induction training on office procedures | 7-8 Jan 2013<br>10-11 Jan 2013 | 66<br>57 |
| 5 | Training for District Level Accountants | 15 March 2013 | 16 |
| 6 | Training for ACP's and Programmer's | 2-13 Sept, 2013<br>16-27 Sept, 2013 | 20<br>30 |

- सरकारी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसार जो सरकारी कर्मचारी इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एम.सी.ए., बी.सी.ए. एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेता है उसका नियमुनसार शुल्क पुनर्भरण किया जाता है।
- शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रोद्यौगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजीटल डिवाईड़ को मिटाने हेतु स्थापित राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। प्रशिक्षण उपरान्त वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा परीक्षा ली जाती है एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाता है।
- **बी.पी.ओ. केन्द्र एवं के.पी.ओ केन्द्र के लिये राज्य प्रोत्साहन योजना 2011** – सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा क्षेत्र के उद्योगों को राज्य के दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने के उद्देश्य से निजी व्यवसाईयों को राज्य में बी.पी.ओ केन्द्र एवं के.पी.ओ. केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये एक योजना।

  इस योजना के अन्तर्गत सरकार विभिन्न वित्तीय लाभ जैसे – आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिये 20 लाख रूपये तक की पूंजी लागत पर 50 प्रतिशत पूंजी निवेश अनुदान प्रदान करेगी।

  इस योजना के प्रशिक्षण के परिचालन लागत पर 50 प्रतिशत तक अनुदान भी दिया जायेगा परंतु यह लागत बी.पी.ओ. केन्द्र के लिये रूपये दस हज़ार प्रति प्रशिक्षु से अधिक नहीं होगी एवं के.पी.ओ. केन्द्र के लिये रूपये बारह हज़ार पांच सो से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में कार्यरत बी.पी.ओ/के.पी.ओ. केन्द्रों के अग्रिम विकास के लिये भी योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अनुदान किया जायेगा।

  योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं प्रबोधन हेतु प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसमें वित्त एवं उद्योग विभाग के सदस्य शामिल हैं।

❖❖❖

# 4.

## वर्ष 2013-14 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तीय/ तकनीकी सहायता प्रदत्त प्रमुख योजनायें :-

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | कुल परियोजना लागत | बैकएण्ड बजट द्वारा वर्ष 2013–14 में वित्तीय प्रावधान |
|---|---|---|---|
| 1 | आर्म्स लाईसेन्स मनेजमेन्ट सिस्टम जिला पाली | 8.74 लाख | 8.74 लाख |
| 2 | राज्य के 8 केन्द्रिय कारागारों के स्थापित कम्प्यूटरीकरण कार्य को आगे बढ़ाने, राज्य को 25 जिला कारागारों, एक जे.टी.आई. एवं 2 महिला कारागारों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने के लिये आई.टी इनेबलमैन्ट ऑफ प्रिजन (जेल) परियोजना | 722.00 लाख | 4.09 लाख |
| 3 | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का कम्प्यूटरीकरण | 1301.00 लाख | 185.00 लाख |
| 4 | SIPF portal application & NSDL integration and converting SIPF portal application to 64 bit | 60.39 लाख | 60.39 लाख |
| 5 | राज्य वित्त निगम | 3.00 लाख | 3.00 लाख |
| 6 | State Special Branch (Intelligence) का कम्प्यूटरीकरण | 128.31 लाख़ | 131.00 लाख |
| 7 | Desktop Video Conferencing | 11.09 लाख | 11.09 लाख |
| 8 | Citizen Contact Centre | 300.00 लाख | 1026.14 लाख |
| 9 | PPP Cell (Planning) का कम्प्यूटरीकरण | 4.16 लाख | 0.51 लाख |
| 10 | जमाबंदियों का कम्प्यूटरीकरण | 580.84 लाख | 580.84 लाख |
| 11 | RPSC का कम्प्यूटरीकरण– फेज द्वितीय | 63.96 लाख | 63.96 लाख |
| 12 | राजभवन का कम्प्यूटरीकरण | 46.72 लाख | 23.32 लाख |
| 13 | श्रम विभाग का कम्प्यूटरीकरण | 496.00 लाख | 190.00 लाख |
| 14 | राजस्थान हाउस का कम्प्यूटरीकरण. (AMC & FMS Support) | 4.75 लाख | 4.75 लाख |
| 15 | उद्योग विभाग की कम्प्यूटरीकरण परियोजना की गेप फण्डिंग | 0.705 लाख | 0.705 लाख |
| 16 | राज–कौशल परियोजना की गेप फण्डिंग | 6.95 लाख | 6.95 लाख |

# 5.
# भावी परियोजनाएं

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | कुल परियोजना लागत |
|---|---|---|
| 1 | आर टी आई पोर्टल | 54.66 लाख |
| 2 | आर जी डी पी एस परियोजना के अन्तर्गत Project Monitoring Unit की स्थापना | 7.80 लाख |
| 3 | Rajasthan Sampark | 1026.14 लाख |
| 4 | सार्वजनिक निर्माण विभाग की कम्प्यूटरीकरण परियोजना की गेप फण्डिंग | 500.00 लाख |
| 5 | E-District परियोजना (LAN & Networking at Rajiv Gandhi Sewa Kendra) | 129.00 लाख |
| 6 | गृह सुरक्षा विभाग हेतु Online Duty Allocation Monitoring System | 16.80 लाख |

# 6.

# वर्ष 2013-14 के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा माह दिसम्बर 2013 तक की प्रगति

(Rs. in Lakhs)

| क्र सं. | लेखा शीर्षक | वर्ष 2013–14 में आवंटन | | | व्यय 31.12.2013 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मूल आवंटन | अतिरिक्त आवंटन | कुल आवंटन | |
| A | **3454-02-(203) (01) [01] Hd.Qtr.** | | | | |
| | 01 संवेतन | 252.00 | | 252.00 | 161.94 |
| | 03–यात्रा व्यय | 0.20 | | 0.20 | 0.20 |
| | 04–चिकित्सा व्यय | 0.25 | 1 | 1.25 | 1.22 |
| | 06 वाहन कय | 0.01 | | 0.01 | |
| | 05–कार्यालय व्यय | 1.50 | | 1.50 | 1.42 |
| | 12–सहायतार्थ अनुदान | 0.01 | | 0.01 | |
| | 21–अनुरक्षण एवं मरम्मत | 4.00 | | 4.00 | |
| | 29–प्रशिक्षण भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय | 180.00 | | 180.00 | 101.17 |
| | 36–वाहनो का किराया | 4.08 | 0.10 | 4.18 | 3.32 |
| | 41–संविदा व्यय * | 0.01 | | 0.01 | |
| | 42–प्रोत्साहन एवं मानदेय | 7.30 | | 7.30 | |
| | 62–कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय | 0.01 | | 0.01 | |
| | योग | **449.37** | **1.10** | **450.47** | **269.27** |
| | **3454-02-203-01-[02] (DHQ)** | | | | |
| | 01–संवेतन | 390.00 | | 390.00 | 184.00 |
| | 03–यात्रा व्यय | 2.00 | | 2.00 | 1.77 |
| | 04–चिकित्सा व्यय | 0.50 | | 0.50 | 0.28 |
| | 05–कार्यालय व्यय | 0.70 | | 0.70 | 0.04 |
| | 21–अनुरक्षण एवं मरम्मत | 0.01 | | 0.01 | |
| | 29–प्रशिक्षण भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय | 20.00 | | 20.00 | 0.82 |
| | 36–वाहनों का किराया | 21.42 | | 21.42 | 0.74 |
| | 62–कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय | 0.01 | | 0.01 | |
| | योग | **434.640** | **0.000** | **434.640** | **187.650** |
| | **3454-02-203-01-[03] (UID)** | | | | |
| | 01–संवेतन | 51.90 | | 51.90 | 49.81 |
| | 03–यात्रा व्यय | 0.20 | | 0.20 | 0.10 |
| | 04–चिकित्सा व्यय | 0.25 | | 0.25 | 0.10 |
| | 05–कार्यालय व्यय | 1.00 | | 1.00 | 0.84 |
| | 06–वाहन क्रय | 12.00 | | 12.00 | |
| | 08–वृतिक और विशिष्ट सेवाएं | 0.01 | | 0.01 | |
| | 11–विज्ञापन, विक्रय, प्रचार और प्रसार व्यय | 0.01 | | 0.01 | |
| | 28–विविध व्यय | 0.01 | | 0.01 | |
| | 36–वाहनो का किराया | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| | 41–संविदा व्यय | 2.16 | | 2.16 | 0.30 |
| | 57–विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| | 62–कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय | 1.00 | | 1.00 | |
| | योग | **68.540** | **0.020** | **68.560** | **51.150** |

(Rs. in Lakhs)

| क्र सं. | लेखा शीर्षक | वर्ष 2013–14 में आवंटन | | | व्यय 31.12.2013 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मूल आवंटन | अतिरिक्त आवंटन | कुल आवंटन | |
| | **3454-02-203-01-[04] (UID Under TFC)** | | | | |
| | 28–विविध व्यय | 0.01 | | 0.01 | |
| | 42–प्रोत्साहन एवं मानदेय | 1896.14 | | 1896.14 | |
| | 3454-02-203-01-[05 ] 62 (FMS) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 3454-02-203-01-[06 ] 62 (Hiring of Consulatants and NAC Test) | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
| | 3454-02-203-01-[ 07] 62 (SDC) | 133.83 | | 133.83 | 6.75 |
| | 3454-02-203-01-[08 ] 62 (SecLAN) | 220.50 | | 220.50 | 9.72 |
| | 3454-02-203-01-[ 09] 62 (e-Mitra) | 525.00 | | 525.00 | 430.16 |
| | 3454-02-203-01-[ 10] 62 (Arogya on Line ) | 331.10 | | 331.10 | 331.10 |
| | 3454-02-203-01-[11 ] 62 (e-Sugam) | 140.38 | | 140.38 | 14.32 |
| | 3454-02-203-01-[12] 62(RSWAN Horizontal) | 363.70 | | 363.70 | 363.70 |
| | 3454-02-203-01-[13 ] 62 (SSDG) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 3454-02-203-01-[14 ] 62 (Mobile VSAT VAN) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 3454-02-203-01-[ 15] 62 (e —Procurement) | 18.00 | | 18.00 | 7.02 |
| | 3454-02-203-01-[ 16] 62 (Development & Maintenance of Web Site) | 48.96 | | 48.96 | 29.40 |
| | 3454-02-203-01—[ 17] 62 (CMIS) | 15.00 | | 15.00 | |
| | 3454-02-203-01-[ 18] 62 (IT Enablement of Secretriate) | 25.30 | | 25.30 | 4.23 |
| | 3454-02-203-01-[19 ] 62(e-Sanchar) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 3454-02-203-01-[20]-62 (Video Conference at block level) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| | 3454-02-203-01-[21]62(Wi-Fi Hot Spot) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| | **Total -A** | **4742.510** | **1.140** | **4743.650** | **1776.470** |
| B | 3454-02-789-01-[ 01] | | | | |
| | 29–प्रशिक्षण भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 21.44 |
| | 62–कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय | 0.01 | | 0.01 | |
| | 3454-02-789-01-[ 02] (UID Under TFC) | | | | |
| | 28–विविध व्यय | 0.01 | | 0.01 | |
| | 42–प्रोत्साहन एवं मानदेय | 462.97 | | 462.97 | |
| | 3454-02-789-01-[ 03] (DHQ) | | | | |
| | 01–संवेतन * | 135.86 | | 135.86 | 60.34 |
| | 03–यात्रा व्यय * | 0.5 | | 0.50 | 0.23 |
| | 04–चिकित्सा व्यय * | 0.10 | | 0.10 | |
| | 05–कार्यालय व्यय * | 0.15 | | 0.15 | |
| | 21–अनुरक्षण एवं मरम्मत | 0 | 0.01 | 0.01 | |
| | 29–प्रशिक्षण भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय | 0 | 0.01 | 0.01 | |
| | 36–वाहनों का किराया | 7.14 | | 7.14 | 0.06 |
| | 62–कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय | 0 | 0.01 | 0.01 | |
| | योग | **143.750** | **0.030** | **143.780** | **60.630** |

(Rs. in Lakhs)

| क्र सं. | लेखा शीर्षक | वर्ष 2013–14 में आवंटन | | | व्यय 31.12.2013 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मूल आवंटन | अतिरिक्त आवंटन | कुल आवंटन | |
| | 3454-02-789-01-[ 04] (e-Sanchar) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 3454-02-789-01-[ 05] (IT Enablement of Secretriate ) | 6.14 | | 6.14 | 6.03 |
| | 3454-02-789-01-[06 ] 62 (Hiring of Consulatants and NAC Test) | 31.50 | | 31.50 | 6.03 |
| | 3454-02-789-01-[07 ] 62 (SDC) | 24.85 | | 24.85 | 2.50 |
| | 3454-02-789-01-[08 ] 62 (SecLAN) | 53.55 | | 53.55 | 45.04 |
| | 3454-02-789-01-[ 09] 62 (e-Mitra) | 127.50 | | 127.50 | 104.98 |
| | 3454-02-789-01-[ 10] 62 (Arogya on Line ) | 24.43 | | 24.43 | 24.43 |
| | 3454-02-789-01-[11 ] 62 ( e-Sugam) | 48.02 | | 48.02 | 1.40 |
| | 3454-02-789-01-[12] 62 (RSWAN Horizontal) | 145.24 | | 145.24 | 145.24 |
| | 3454-02-789-01-[13 ] 62 (SSDG) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 3454-02-789-01-[14 ] 62 (Mobile VSAT VAN) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 3454-02-789-01-[ 15] 62 (e -Procurement) | 4.00 | | 4.00 | |
| | 3454-02-789-01-[ 16] 62 (Development & Maintenance of Web Site) | 10.88 | | 10.88 | 10.88 |
| | 3454-02-789-01—[ 17] 62 (CMIS) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 3454-02-789-01-[18]62 (Video Conference) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| | 3454-02-789-01-[19]62(Wi-Fi Hot spot) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| | **Total -B** | **1092.890** | **15.050** | **1107.940** | **428.600** |
| C | **3454-02-796-02-[ 01]** | | | | |
| | 29–प्रशिक्षण भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 25.83 |
| | 62–कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय | 0.01 | | 0.01 | |
| | **3454-02-796-02-[ 02] UID Under TFC** | | | | |
| | 28–विविध व्यय | 0.01 | | 0.01 | |
| | 42–प्रोत्साहन एवं मानदेय | 338.86 | | 338.86 | |
| | **3454-02-796-02-[ 03] DHQ** | | | | |
| | 01–संवेतन * | 85.51 | | 85.51 | 26.54 |
| | 03–यात्रा व्यय * | 0.5 | | 0.5 | 0.43 |
| | 04–चिकित्सा व्यय * | 0.2 | | 0.2 | 0.00 |
| | 05–कार्यालय व्यय * | 0.15 | | 0.15 | 0.01 |
| | 21–अनुरक्षण एवं मरम्मत | 0 | 0.01 | 0.01 | |
| | 29–प्रशिक्षण भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय | 0 | 0.01 | 0.01 | |
| | 36–वाहनों का किराया | 5.1 | | 5.1 | 0.47 |
| | 62–कम्प्यूटराईज़ेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय | 0 | 0.01 | 0.01 | |
| | योग | **91.460** | **0.030** | **91.490** | **27.450** |
| | 3454-02-796-02-[ 04] e-Sanchar | 0.01 | | 0.01 | |
| | 3454-02-796-02-[ 05] IT Enablement of Secretariats | 4.50 | | 4.50 | 4.35 |
| | 3454-02-796-02-[06 ] 62 Hiring of Consultants and NAC Test | 31.50 | | 31.50 | |

(Rs. in Lakhs)

| क्र सं. | लेखा शीर्षक | वर्ष 2013–14 में आवंटन | | | व्यय 31.12.2013 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मूल आवंटन | अतिरिक्त आवंटन | कुल आवंटन | |
| | 3454-02-796-02-[ 07] 62 SDC | 32.50 | | 32.50 | 1.57 |
| | 3454-02-796-02-[08 ] 62 SecLAN | 40.95 | | 40.95 | |
| | 3454-02-796-02-[ 09] 62 e-Mitra | 97.50 | | 97.50 | 77.17 |
| | 3454-02-796-02-[ 10] 62Arogya on Line | 17.31 | | 17.31 | 17.31 |
| | 3454-02-796-02-[11 ] 62 e-Sugam | 27.00 | | 27.00 | 4.45 |
| | 3454-02-796-02-[12] 62RSWAN Horizontal | 91.03 | | 91.03 | 91.03 |
| | 3454-02-796-02-[13 ] 62 SSDG | 0.01 | | 0.01 | |
| | 3454-02-796-02-[14 ] 62 Mobile VSAT VAN | 0.01 | | 0.01 | |
| | 3454-02-796-02-[ 15] 62 e -Procurement | 3.00 | | 3.00 | |
| | 3454-02-796-02-[ 16] 62 Development & Maintenance of Web Site | 8.16 | 8.16 | 8.16 | |
| | 3454-02-796-02-[ 17] 62 CMIS | 0.01 | | 0.01 | |
| | 3454-02-789-01-[18]62 (Video Conference) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| | 3454-02-789-01-[19]62(Wi-Fi Hot spot) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| | 3454-02-800-03-[01]28 Navachar Navin | 0.01 | | 0.01 | |
| | **Total-C** | **793.840** | **20.050** | **813.890** | **257.320** |
| D | 5475-00-190-01[01] 73 (Invst in RKCL) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-190-01[04] 73 (Invst in RISL) | 0.01 | | 0.01 | |
| | **Total-D** | **0.02** | **0.00** | **0.02** | |
| E | 5475-00-789-01-[00]-62 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 5475-00-789-01-[01]-62 RSWAN Vertical (State Share) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-789-01-[02]-62 Hiring of Consultancy services & NAC | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-789-01-[03]-62 (IFMS) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-789-01-[04]-62 (e-Sanchar) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-789-01-[05]-62 (IT Policy) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-789-01-[06]-62(NEGP) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-789-01-[ 07] 62 SDC | 26.00 | | 26.00 | 0.82 |
| | 5475-00-789-01-[08 ] 62 SecLAN | 23.80 | | 23.80 | 22.22 |
| | 5475-00-789-01-[ 09] 62 e-Mitra | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-789-01-[ 10] 62Arogya on Line | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-789-01-[11 ] 62 e-Sugam | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-789-01-[12] 62RSWAN Horizontal | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-789-01-[13 ] 62 SSDG | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-789-01-[14 ] 62 Mobile VSAT VAN | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-789-01-[ 15] 62 e -Procurement | 1.00 | | 1.00 | |
| | 5475-00-789-01-[ 16] 62 Development & Maintenance of Web Site | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-789-01—[ 17] 62 CMIS | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-789-01—[ 18] 62IT Enablement of Secretariate | 63.43 | 190.94 | 254.37 | 5.01 |

(Rs. in Lakhs)

| क्र सं. | लेखा शीर्षक | वर्ष 2013–14 में आवंटन | | | व्यय 31.12.2013 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मूल आवंटन | अतिरिक्त आवंटन | कुल आवंटन | |
| | 5475-00-789-01—[ 19] 62 Innovative Project | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-789-01-[20]62 (Video Conference) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| | 5475-00-789-01-[20]62(Wi-Fi Hot spot) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| | 5475-00-789-02-[ 00] 62 Backend | 0.01 | | 0.01 | |
| | **Total -E** | **114.39** | **190.96** | **305.35** | **28.05** |
| F | 5475-00-796-01-[ 00] 62 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 5475-00-796-01-[01]-62 RSWAN Vertical (State Share) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-796-01-[02]-62 Hiring of Consultancy services & NAC | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-796-01-[03]-62 (IFMS) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-796-01-[04]-62 (e-Sanchar) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-796-01-[05]-62 (IT Policy) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-796-01-[06]-62(NEGP) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-796-01-[ 07] 62 SDC | 34.00 | | 34.00 | 9.90 |
| | 5475-00-796-01-[08 ] 62 SecLAN | 18.20 | | 18.20 | |
| | 5475-00-796-01-[ 09] 62 e-Mitra | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-796-01-[ 10] 62Arogya on Line | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-796-01-[11 ] 62 e-Sugam | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-796-01-[12] 62RSWAN Horizontal | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-796-01-[13 ] 62 SSDG | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-796-01-[14 ] 62 Mobile VSAT VAN | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-796-01-[ 15] 62 e -Procurement | 0.60 | | 0.60 | |
| | 5475-00-796-01-[ 16] 62 Development & Maintenance of Web Site | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-796-01—[ 17] 62 CMIS | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-796-01—[ 18] 62IT Enablement of Secretariate | 46.70 | 140.58 | 187.28 | 0.02 |
| | 5475-00-796-01—[ 19] 62 Innovative Project | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-796-01-[20]62 (Video Conference) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| | 5475-00-796-01-[21]62(Wi-Fi Hot spot) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| | 5475-00-796-02-[ 00] 62 Backend | 0.01 | | 0.01 | |
| | **Total -F** | **99.660** | **140.600** | **240.260** | **9.920** |
| G | 5475-00-800-03-[ 00] 62 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 5475-00-800-05-[ 00] 62 Backend | 521.50 | 2339.20 | 2860.70 | 1513.64 |
| | 5475-00-800-08-[ 04] 62 e-Sanchar | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-800-08-[05]-62 (IT Policy) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-800-08-[06]-62(NEGP) | 1919.98 | | 1919.98 | |
| | 5475-00-800-08-[ 07] 62 SDC | 140.00 | | 140.00 | 37.97 |
| | 5475-00-800-08-[08 ] 62 SecLAN | 98.00 | 340.40 | 438.40 | |
| | 5475-00-800-08-[ 09] 62 e-Mitra | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-800-08-[ 10] 62Arogya on Line | 0.01 | | 0.01 | |

(Rs. in Lakhs)

| क्र सं. | लेखा शीर्षक | वर्ष 2013–14 में आवंटन मूल आवंटन | अतिरिक्त आवंटन | कुल आवंटन | व्यय 31.12.2013 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5475-00-800-08-[11 ] 62 e-Sugam | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-800-08-[12] 62RSWAN Horizontal | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-800-08-[13 ] 62 SSDG | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-800-08-[14 ] 62 Mobile VSAT VAN | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-800-08-[ 15] 62 e -Procurement | 3.40 | | 3.40 | |
| | 5475-00-800-08-[ 16] 62 Development & Maintenance of Web Site | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00800-08—[ 17] 62 CMIS | 5.00 | | 5.00 | |
| | 5475-00-796-01—[ 18] 62IT Enablement of Secretariate | 261.67 | 787.71 | 1049.38 | 37.11 |
| | 5475-00-800-08-[ 19] 62 Innovative Project | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-800-08-[ 20] 62 IFMS | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-800-08-[ 21] 62 RSWAN Vertical (State Share) | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-800-08-[ 22] 62 Hiring of Consultancy services & NAC | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-800-08-[24]62 (Video Conference at Block Level) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| | 5475-00-800-01-[25]62(Wi-Fi Hot spot) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| | 5475-00-800-10-[ 00] 62 IT City | 0.01 | | 0.01 | |
| | 5475-00-800-11-[ 01] 62 RGSK | 0.01 | | 0.01 | |
| | **Total -G** | **2949.71** | **3467.33** | **6417.04** | **1588.72** |
| | 4059-80-0151-40[00] 17 IT Building | 50.00 | | 50.00 | |
| H | **Total -H** | **50.00** | **0.00** | **50.00** | **0.00** |
| | **Total (A to H)** | **9843.02** | **3835.13** | **13678.15** | **4089.08** |
| | CSS | | | | |
| | 3454-02-203-01-[03] 11 | 200.00 | | 200.00 | 30.13 |
| | 3454-02-203-01-[03] 28 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| | **Non Plan** | | | | |
| | 3454-02-203-01-01 | | | | |
| | 01–संवेतन | 374.00 | | 374.00 | 285.72 |
| | 03–यात्रा व्यय | 0.50 | | 0.50 | 0.50 |
| | 04–चिकित्सा व्यय | 0.75 | 2.00 | 2.75 | 2.75 |
| | 05–कार्यालय व्यय | 6.60 | 326.30 | 332.90 | 63.32 |
| | 06–वाहनों का क्रय | 0.01 | | 0.01 | |
| | 07–कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण | 1.10 | | 1.10 | 1.09 |
| | 21–अनुरक्षण एवं मरम्मतें | 21.00 | | 21.00 | 14.38 |
| | 36–वाहनों का किराया | 5.40 | | 5.40 | 4.51 |
| | 41–संविदा व्यय | 1.00 | | 1.00 | |
| | 37–वर्दियां एवं अन्य सुविधाएं | 0.05 | | 0.05 | |
| | **Total** | **410.41** | **328.30** | **738.71** | **372.30** |

# 7.

# बजट भाषण वर्ष 2013-14 की नवीन योजनाओं का विवरण

| S. No. | Para No Part No Sub Para No | Main Description | Action to be taken |
|---|---|---|---|
| 1 | 195<br>0<br>0 | 'आधार योजना' की क्रियान्विति हेतु प्रत्येक तहसील व जिला मुख्यालय पर स्थाई आधार नामांकन केन्द्र प्रारंभ किये जायेंगे। इस योजना के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंचाया जा सकता है। अतः पेंशन, छात्रवृत्ति व सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि को आधार कार्ड से जोड़ा जायेगा। इसके अतिरिक्त, आधार योजना को प्रदेश में वर्तमान में लागू Integrated Financial Management System (IFMS) से भी जोड़ा गया है, ताकि कोषालय के माध्यम से लाभार्थियों को राशियों का हस्तांतरण किया जा सके। | आधार योजना के तहत प्रत्येक जिला एवं तहसील मुख्यालय पर 277 स्थाई आधार नामांकन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु कार्यादेश जारी किया गया है जिनमे से 188 स्थाई आधार केन्द्र स्थापित किए गए हैं। शेष केन्द्रों की स्थापना की कार्यवाही जारी है। भारत सरकार द्वारा नकद लाभ हस्तांतरण के तहत छः जिलों में (अजमेर, अलवर, उदयपुर, कोटा, पाली वं झुंझुनू) में 14 चयनित योजनाओं में आधार समर्थित नकद लाभ हस्तांतरित किए गए। उपरोक्त लाभ हस्तांतरण को आधार द्वारा करने के लिए IFMS में भी आधार समर्थ भुगतान करने के लिए प्रावधान किया गया है। अभी तक 33,231 ट्रासक्शन जिनके द्वारा 4.87 करोड़ रू हस्तांतरित दिसम्बर 2013 तक किए गए हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आधार समर्थ नकद हस्तांतरण अथवा सेवा प्रदायता अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा। |
| | 378<br>0<br>0 | देशी एवं विदेशी पर्यटकों, व्यवसायियों और आम नागरिकों को इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवायें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जयपुर शहर में 50 स्थानों पर वाई–फाई हॉट स्पॉट विकसित किये जायेंगे। | परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में जयपुर में स्थित 20 सरकारी कार्यालयों में वाई–फाई हॉट स्पॉट स्थापित करने हेतु कार्यादेश दे दिया गया है। मार्च, 2014 तक क्रियाशील होने की संभावना है। |
| | 422<br>0<br>0 | प्रदेश के ब्लाक स्तर तक के 4 हज़ार 587 कार्यालयों को Wide Area Network के माध्यम से जोड़ने की परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान में जिला मुख्यालय स्तर तक वीडियो कांफ्रन्सिंग की सुविधा उपलब्ध है। Wide Area Network के माध्यम से अब यह सुविधा निकट भविष्य में उपखंड स्तर तक भी उपलब्ध होगी। | SWAN परियोजना के तहत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर 273 Vertical PoPs क्रियाशील कर दिये है तथा जिला एवं ब्लॉक स्तर के 2200 कार्यालय इस तंत्र से जोड़ दिये गये है। ब्लॉक स्तर पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी है। |

**सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग**
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
फोन : 0141-2224855 • फैक्स : 0141-2222011
http://www.rajasthan.gov.in,
http://www.doitc.rajasthan.gov.in